

## संशोधित आदेश

निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी की तैनाती विषयक पूर्व आदेश संख्या-369, दिनांक-20.11.2044 में निम्न विवरण के अनुसार आंशिक संशोधन करते हुये नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु निमित्त निम्न विवरण के अनुसार, उल्लिखित पदाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित करता हूँ। पदाभिहित अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी,(ना०नि०) के नियन्त्रणाधीन सुसंगत अधिनियमों/नियमों एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

क्र० सं०	निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित किये गये अधिकारी का विवरण	निर्वाचन अधिकारी का विर्तिदिष्ट क्षेत्र	सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी का विवरण	सहायक निर्वाचन अधिकारी को आवंटित क्षेत्र
1	श्री रविन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी-खटीमा <b>9897093258</b>	नगर पालिका परिषद- खटीमा	श्री वीरेन्द्र सजवाण नायब तहसीलदार,खटीमा <b>9412346919</b>	निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
2	श्री रविन्द्र जुवाठा, उप जिलाधिकारी-सितारगंज <b>9760976336</b>	नगर पालिका परिषद- सितारगंज	श्री चिंताराम आर्य, खण्ड विकास अधिकारी,सितारगंज <b>8958647382</b>	
3	श्रीमती पूजा शर्मा, तहसीलदार-सितारगंज, <b>8477058474</b>	नगर पंचायत-शक्तिगढ़	श्री विमल वर्मा, सहायक अभियन्ता,सिचाई खण्ड सितारगंज <b>9411029255</b>	
4	श्री आनन्द सिंह नेगी, अधिशासी अभियन्ता सिचाई,सितारगंज <b>9410145600</b>	नगर पंचायत-नानकमत्ता	श्री दीप चन्द्र पंत, सहायक अभियन्ता,सिचाई खण्ड, सितारगंज <b>7055621949</b>	
5	श्री कौस्तुभ मिश्र उप जिलाधिकारी-किच्छा <b>8755319095</b>	नगर पालिका परिषद- किच्छा	श्री गिरीश चन्द्र त्रिपाठी तहसीलदार-किच्छा <b>7351202948</b> श्री मोहन चन्द्र जोशी सचिव, मण्डी समिति,किच्छा <b>9997544251</b>	
6	श्री रविन्द्र चौहान, सहायक निदेशक,डेयरी, ऊधमसिंहनगर <b>9068708770</b>	नगर पालिका परिषद- नगला	श्री अतुल चतुर्वेदी वरिष्ठ विपरण अधिकारी, किच्छा, <b>9548088911</b>	
7	श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, अधिशासी निदेशक, चीनी मिल,किच्छा <b>8392928200</b>	नगर निगम-रुद्रपुर नगर प्रमुख पद हेतु	श्री असित आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी,रुद्रपुर <b>8800143782</b>	
8	श्री मनीष विष्ट, उप जिलाधिकारी-रुद्रपुर <b>9410939551</b>	नगर निगम-रुद्रपुर समासद हेतु	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उप श्रमायुक्त,रुद्रपुर <b>8006539196</b> श्री आशीष नेगी, सहायक गन्ना आयुक्त,रुद्रपुर <b>7579111558</b> श्री विजय पाल सिंह सहायक अभियन्ता सिचाई खण्ड- रुद्रपुर, <b>8191895469</b>	
9	श्री दिनेश कुटोला, तहसीलदार-रुद्रपुर <b>8958531992</b>	नगर पंचायत-लालपुर	श्री विशाल प्रसाद, सहायक अभियन्ता,सिचाई खण्ड- रुद्रपुर, <b>9997214098</b>	

10	श्रीमती आशीमा गोयल, उप जिलाधिकारी—गदरपुर <b>9354517950</b>	नगर पालिका परिषद— गदरपुर	श्रीमती लीना चन्द्रा, तहसीलदार,गदरपुर <b>9410169646</b>	<p><b>निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।</b></p>
11	श्री गौरव कुमार पन्त, सहायक आयुक्त,राज्य कर, खण्ड—1,रुद्रपुर। <b>7055602893</b>	नगर पंचायत—दिनेशपुर	श्री देवेन्द्र सिंह विष्ट, नायब तहसीलदार,गदरपुर <b>9639556985</b>	
12	श्री गौरव कुमार पन्त, सहायक आयुक्त,राज्य कर, खण्ड—1,रुद्रपुर। <b>7055602893</b>	नगर पंचायत—गूलरभोज	श्री नीरज कुमार काण्डपाल सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर। <b>7454880111</b>	
13	श्री राकेश चन्द्र तिवारी, उप जिलाधिकारी—बाजपुर <b>9675924599</b>	नगर पालिका परिषद— बाजपुर	श्री कुन्दन सिंह विष्ट, खण्ड विकास अधिकारी,बाजपुर <b>8126069713</b>	
14	श्री अक्षय कुमार भट्ट, तहसीलदार—बाजपुर <b>9068981487</b>	नगर पंचायत—केलाखेड़ा	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सचिव,मण्डी समिति,बाजपुर <b>9837166965</b>	
15	श्री प्रदीप गर्ग, चकबन्दी अधिकारी—बाजपुर <b>8859003330</b>	नगर पंचायत—सुल्तानपुर	श्री राजेश पन्तोला, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर <b>9456762868</b>	
16	श्री चन्द्र सिंह इमलाल, अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,काशीपुर <b>9412923103</b>	नगर निगम—काशीपुर नगर प्रमुख पद हेतु	श्री पंकज चन्दोला, तहसीलदार,काशीपुर <b>9760030215</b>	
17	श्री अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी—काशीपुर <b>9598314564</b>	नगर निगम—काशीपुर समासद हेतु	श्री कमल किशोर पाण्डे, खण्ड विकास अधिकारी,काशीपुर, <b>9939709875</b>  श्री धीरेन्द्र कुमार साहू खण्ड शिक्षाधिकारी, काशीपुर <b>9410117746</b>  डा० शशि कमल, भूमि एवं संरक्षण अधिकारी,काशीपुर <b>9997065133</b>	
18	श्री दीक्षांत, अधिशासी अभियन्ता,सिचाई खण्ड,काशीपुर। <b>9410368328</b>	नगर पालिका परिषद— महुआखेडागांज	श्री गौरव पाठक, सहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड,काशीपुर <b>8449292251</b>	
19	श्री गौरव चटवाल, उप जिलाधिकारी—जसपुर <b>7830317387</b>	नगर पालिका परिषद— जसपुर	श्री शैलेन्द्र मेहरा, सचिव,मण्डी समिति,जसपुर <b>9760995574</b>  श्री नरेन्द्र रावत, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,काशीपुर, <b>9756816308</b>	

20	श्रीमती सुभांगनी तहसीलदार-जसपुर <b>7060118026</b>	नगर पंचायत- महुआडाबरा	श्री ललित मोहन कश्यप, सहायक अभियन्ता, तृतीय, सिचाई खण्ड, काशीपुर, <b>9927918888</b>	<b>निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।</b>
21	<b>आरक्षित निर्वाचन/ सहायक निर्वाचन अधिकारी-</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री प्रभाकर सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी, ऊधमसिंहनगर। <b>9412960132</b> (निर्वाचन अधिकारी)</li> <li>2. श्री अभय सक्सैना, मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर। <b>9412017464</b> (निर्वाचन अधिकारी)</li> <li>3. श्री सुशील कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लद्दु सिचाई, ऊधमसिंहनगर। <b>9411755121</b> (निर्वाचन अधिकारी)</li> <li>4. श्री विपिन काम्बोज, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर। <b>9410012920</b> (निर्वाचन अधिकारी)</li> <li>5. श्री डी०सी० पंत, सहायक अभियन्ता प्रथम, सिचाई खण्ड, सितारगंज <b>7906811947</b> (सहायक निर्वाचन अधिकारी)</li> <li>6. श्री सौरभ कुमार, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर <b>9410649694</b> (सहायक निर्वाचन अधिकारी)</li> </ol>			

एतद्वारा पदाभिहित अधिकारी, सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के तदविषयक निर्देशों के अनुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी के सीधे नियन्त्रण में कार्य सम्पादन करेंगे, तथा निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारियों के मध्य अपने स्तर से कार्य विभाजन करेंगे।

2—निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृत स्थानों पर निर्वाचन कक्ष/कक्षों की स्थापना कराकर, नामांकन पत्रों की विकी/प्राप्ति आदि के लिये आवश्यक पटल एवं आवश्यक संख्या में कार्मिकों की तैनाती की व्यवस्था भी करायेंगे। वे अपने नामांकन स्थल में आयोग के निर्धारित प्रपत्र पर निर्वाचन सूचना/विवरण निर्गत कर सूचना पतों और सहज दृश्य स्थानों पर लगवायेंगे।

3—नामांकन पत्रों की विकी/प्राप्ति, मतगणना, दृढ़ कक्ष स्थापना आदि की व्यवस्था हेतु निर्वाचन अधिकारी प्रभारी अधिकारी बेरिकेटिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानक के अनुसार बेरिकेटिंग एवं अस्थाई निर्माण आदि की व्यवस्था करायेंगे। बूथ निर्माण आदि के लिये यथासाध्य तहसील/निकाय के कर्मचारियों को तैनात किया जाये, इस सम्बन्ध में उचित होगा कि निर्वाचन अधिकारी कृपया लिखित आदेशों द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को विशिष्ट दायित्व हेतु तैनात करें और सांय कार्य समाप्ति के पश्चात् दैनिक कार्यों की समीक्षा और अगले दिन के कार्यक्रम की रूप रेखा तय करने हेतु दैनिक बैठक कर कार्यवाहियों का सम्यक अनुश्रवण कर यथा स्थिति से उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करायेंगे।

#### **4—कर्मचारियों की तैनाती—**

नामांकन विकी/प्राप्ति के लिये आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तैनाती निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करके उन्हे कार्य आवंटित किया जायेगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे।

“मतदान दल, मतगणना दल; उनके निकाय क्षेत्र में अवस्थान कर रहे प्रेक्षक के साथ आवश्यक स्टाफ, जैसे सम्पर्क अधिकारी, स्टैनो, चतुर्थ श्रेणी कर्मी की व्यवस्था, निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी प्रेक्षक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

प्रेक्षक के अवस्थान स्थल की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, उनके कक्ष में आयोग के निर्देशानुसार दूरभाष, फैक्स, कम्प्यूटर इन्टरनेट की व्यवस्था आदि के लिये परगना/तहसीलदार में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी स्तर के कार्मिक में से उपयुक्त/योग्य अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती करेंगे। ये अधिकारी पंचास्थानि कार्यालय, प्रभारी अधिकारी, वाहन, कार्मिक तथा प्रेक्षक के सम्पर्क अधिकारी आदि के सम्पर्क में रहकर प्रेक्षक के लिये निर्देशित सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई आदि से उप जिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया जाये।

## 5-नामांकन प्राप्ति,जांच वापसी प्रतीक आवंटन तथा मतपत्रो का मुद्रण एंव बूथवार मत पत्रो की पैकेटिंग।

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित एंव सुसंगत अधिनियमो/नियमो के अन्तर्गत निर्धारित दिनाँक तक प्रतीक आवंटन के पश्चात् मतपत्र मुद्रण हेतु मतपत्रो के प्रारूप-पदवार (अध्यक्ष/सदस्य) निकायवार एंव वार्डवार तैयार किये जायेंगे। मतपत्र के मुद्रण हेतु मतपत्र प्रारूप दो प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी एक प्रति अपने अभिलेख में रखकर दूसरी प्रति मुद्रण कराने हेतु प्रभारी अधिकारी-मतपत्र/चकबन्दी अधिकारी, रुद्रपुर को मतपत्रो की वार्डवार/पदवार संख्या के विवरण के साथ प्रेषित करेंगे। प्रभारी अधिकारी-मतपत्र द्वारा मतपत्र का डाटा फीडिंग करने के पश्चात् संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने से संबंधित मतपत्र की प्रूफ चैकिंग की जायेगी। प्रभारी अधिकारी-मतपत्र द्वारा मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् समस्त निकायों को उनकी निकाय से संबंधित मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रभारी अधिकारी-मतपत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त पदों के मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित कोषागार में रखा जायेगा तथा निकायवार/बूथवार मतपत्रो की पैकेटिंग कराकर तैयार किया जायेगा। इस उद्देश्य से किसी योग्य अधिकारी की तैनाती संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

## 6-सामग्री वितरण/सामग्री प्राप्ति/स्ट्रांग रुम निर्माण/गणना कक्ष निर्माण/प्रेस कक्ष निर्माण

उल्लिखित कार्यों के लिये निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के निकायों के आकार को दृष्टिगत रखते हुये, एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर मतदान सामग्री वितरण एंव प्राप्ति, गणना स्थल एंव स्ट्रांग रुम की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि वितरण पटल एंव वितरित की जाने वाली सामग्री रखने का स्थान सुविधाजनक रूप से जुड़े हो, इसी प्रकार सामग्री प्राप्ति स्थान और दृढ़ कक्ष आदि भी इसी प्रकार जुड़े हो जिससे प्राप्त होने वाली सामग्री यथाशीघ्र सुरक्षित रूप से संग्रहीत हो सके। स्ट्रॉग रुम तथा गणना स्थल भी इस प्रकार जुड़े हो कि गणना कार्य में लगे कर्मचारी अवाध रूप से आ जा सके। जनसामान्य इस रास्ते से अलग रहे।

गणना पट्टाल में निर्वाचन अधिकारी के बैठने के स्थान के पास गणना पटल पर कर्मचारियों के बैठने, कार्य करने की भी उपयुक्त व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। गणना के पश्चात् सीलिंग योग्य सामग्री को सूचीबद्ध कर विधिवत् सील की जाने के लिये योग्य एंव उपयुक्त कर्मियों की तैनाती की जाये। प्रेस कक्ष एंव निर्वाचन अधिकारी कक्ष के मध्य अच्छी ध्वनि विस्तारक व्यवस्था की जाये, जिससे सूचनाओं को भली भाँति प्रसारित किया जा सके। सामग्री वितरण/प्राप्ति एंव गणना स्थल पर प्रेस कक्ष आदि के आस पास पेयजल/शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी को आदेशित कर दिया जाये।

उपरोक्त व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अधिकृत कर्मी/जन प्रतिनिधि अथवा उनके मान्य प्रतिनिधि के अतिरिक्त जन सामान्य एंव वाहन आदि निर्धारित दूरी से निकट ना आये तथा जन प्रतिनिधि/एजेण्ट आदि अपने निर्धारित स्थान पर ही आ सके। आवश्यकतानुसार दृढ़ कक्ष एंव गणना स्थल पर विद्युत एंव अग्निशमन के सुरक्षा उपाय अपना कर सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

स्थल पर की गई व्यवस्थाओं, जिसमें गणना कक्ष की स्थिति, दृढ़ कक्ष की बीच में बैरीकेटिंग, पहुँच मार्ग गणना कक्ष के अन्दर बैरीकेटिंग, निर्वाचन अधिकारी के बैठने का स्थान, गणना पटल, सीलिंग कक्ष, ऐजेन्टों की गैंलरी आदि को दर्शित करते हुए नजरी नक्शा बनाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

इन सभी व्यवस्थाओं के लिये बैरीकेटिंग का कार्य निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये भितव्यिता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित व्यय मानक के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित व्यय मानक के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी को दर्शित करते हुए नजरी नक्शा बनाकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भुगतान हेतु बीजक प्रेषित करेंगे। उपरोक्त प्रकार से प्राप्त न होने वाले देयक/राठनीओं के मानकों से उपर के व्ययों पर विचार नहीं किया जायेगा।

## 7-राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन सूचनाओं का प्रेषण एंव अन्य सूचनायें जो पंचास्थानि को प्रेषित की जानी है।

निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक पटल बनाकर, वहाँ पर सभी सैकटर/जोनल मजिस्ट्रेटों से निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर संकलित की जायेगी। जिला मुख्यालय पर पदाभिहित किये गये प्रभारी अधिकारी (सूचना/नियन्त्रण कक्ष) इन सूचनाओं को प्राप्त कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराते हुये राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेंगे। प्रेषित सूचनाओं की प्रति प्रभारी अधिकारी (सूचना/नियन्त्रण कक्ष) द्वारा पंचास्थानि कार्यालय के अभिलेख हेतु प्रेषण के तुरन्त बाद दी जायेगी।

नामांकन के दिनांक के पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचनायें उसी कार्य दिवस पर प्रेषित की जायेगी:-

- (क) नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दैनिक जानकारी (नाम निर्देशन की अवधि में प्रत्येक दिन)
- (ख) नाम निर्देशन की सूचना (नाम निर्देशन की अवधि में प्रत्येक दिन)
- (ग) नाम वापसी, विधिमान्य नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूचना एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची परिशिष्ट-14 में प्रेषित करेंगे।

#### 8-मतगणना/प्रपत्रों की सीलिंग/मतगणना अभिलेखों को रखा जाना/विभिन्न निर्वाचन अभिलेखों को पंचास्थानि को हस्तान्तरण।

आयोग द्वारा निर्धारित रीति और नीति से चयनित गणना कक्ष में निर्धारित समय पर मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी के नियन्त्रण में की जायेगी।

मतपत्रों एवं अन्य अभिलेखों की सीलिंग में लगे कर्मचारीगण मुख्यतः गणना किये गये मतपत्रों की सीलिंग नियमानुसार करते रहेंगे। गणना विवरणी (गणना सीट) जो तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी की एक प्रति सीलिंग किये जा रहे हैं मतपत्रों के साथ रखी जायेगी। इसकी दूसरी प्रति निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखार्ड नोडल अधिकारी के कार्यालय तथा प्रथम प्रति (निकायवार, पदवार परिणाम, वार्डवार / बूथ वार पत्रावली में) संकलित कर पंचस्थानि कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। मुख्यतः गणना किये गये मत, निर्वाचन विवरणिका की एक प्रति, साविधिक लिफाफे, अवशेष-अप्रयुक्त मतपत्र आदि जायेगी। मुख्यतः गणना किये गये मत, निर्वाचन विवरणिका की एक प्रति, साविधिक लिफाफे, अवशेष-अप्रयुक्त मतपत्र आदि जायेगा। एक प्रपत्रों को मोहर बन्द बक्से में बन्द कर बक्से के अन्दर की सामग्री का विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रपत्रों के ऊपर इस प्रकार चर्चा की जाये कि वह सहज दृष्ट्य हो और बाक्स रखने उठाने में फटे/नष्ट न हो सके। इस विवरण की दूसरी प्रति निर्वाचन अधिकारी अपने पास रखेंगे और प्रथम प्रति पंचस्थानि चुनावालय को पूर्ण विवरण के साथ प्रेषित करेंगे।

#### 9-पंचास्थानि चुनावालय को निर्वाचन के पश्चात सोपे जाने वाले अभिलेखों का विवरण

##### निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न अभिलेख, जैसे वार्डवार, निकायवार :-

- 1-नामांकन पत्रों की बिकी का विवरण-मय कोषागार का जमाराशि का विवरण
- 2-नामांकन पत्रों की जमा का विवरण-मय कोषागार में जमा जमानत राशि का विवरण
- 3-नामांकन पत्रों की जांच, वापसी, विधिमान उम्मीदवारों की पत्रावली
- 4-निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का विवरण तथा प्रतीक आवटन की कार्यवाही का विवरण
- 5-निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत जब्ती/वापसी का विवरण निम्न प्रारूप में

नगर निकाय का नाम		पद- नगर प्रमुख/समासद/अध्यक्ष/सदस्य							
क्रमांक	निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम/पिता/पति	पता	जमानत जमा का विवरण	कुल वैद्य मत	प्राप्त मत	जमानत वापसी योग्य है अथवा नहीं	अम्युक्ति-2	अम्युक्ति-3	टिप्पणी

6-परिणाम/निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति की पत्रावली निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के उपरान्त अभिलेख, पंचास्थानि चुनावालय में उपलब्ध कराकर उनसे अभिलेखों की प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

#### 10-निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना।

मतदान-मतगणना अथवा अन्य विभिन्न कार्यों में निमित्त तैनात कर्मी जिसमें सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट आदि भी सम्मिलित हैं को निर्वाचन अधिकारी-अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन कार्य अवमुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही निर्वाचन दायित्व से अवमुक्त माना जायेगा। निर्वाचन कार्य पूर्ण किये बिना अवमुक्त अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय में वापस होने पर भी अपने कार्य से अनुपस्थित माने जायेंगे।

### 11-निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान।

निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाओं/डाक आदि को मुख्यालय आदान प्रदान हेतु लिखित आदेशों द्वारा इस प्रकार व्यवस्था करेंगे कि एक कर्मी प्रातः 11 बजे पंचास्थानी कार्यालय में डाक दे/प्राप्त करे और सायं 6 बजे डाक दे/प्राप्त करे, इस हेतु वे नागर निकायों/तहसील के कर्मियों को तैनात करे, तैनाती आदेशों में उनके वांछित नम्बर का उल्लेख भी किया जाये। समस्त आवश्यक सूचनाये ई-मेल के माध्यम से पंचास्थानी कार्यालय को ई-मेल आईडी-[electionoffice.p2022@gmail.com](mailto:electionoffice.p2022@gmail.com) पर प्रेषित करेंगे।

### 12-नागर निकाय निर्वाचन संबंधी रिटों की स्थिति में।

नागर निकाय निर्वाचन में नामांकन के स्वीकृत/अस्वीकृत करने की स्थिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तथा निर्वाचन प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवार द्वारा यदि कोई रिट माननीय सक्षम न्यायालय में योजित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने तथा अधोहस्ताक्षरी की ओर से जबाबदावा/प्रतिउत्तर मात्र न्यायालय में दाखिल करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु किसी अन्य अधिकारी को नामित नहीं किया जायेगा।

### विविध।

- निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार हेतु वाहन, मतदान दिवस के दिन के लिये वाहन की स्वीकृति निर्वाचन अधिकारी की सहमति से निर्गत करेंगे।
- निर्वाचन अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे तथा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु पीठासीन अधिकारी को उन प्रत्याशियों के जिनके लिए उसके बूथ पर मतदान होगा, नाम, नमूना हस्ताक्षर एवं उन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह के विवरण की फोटो प्रति देंगे।
- निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन के साथ व्यय विवरण रजिस्टर प्रत्याशियों को हस्तगत कराकर, उन्हें अवगत करायेंगे कि वे निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अन्दर व्यय विवरण सम्बन्धित सह प्रभारी अधिकारी-व्यय विवरण से सत्यापित कराकर पंचास्थानी चुनावालय, कक्ष संख्या-105, कलैकट्रेट, ऊधमसिंहनगर में प्रस्तुत करेंगे।
- प्रशिक्षण एवं गणना के दौरान खान पान व्यवस्था, आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण एवं खानपान से समन्वय स्थापित कर करायेंगे तथा तत्संबंधी देयक प्रभारी अधिकारी-खानपान द्वारा प्रमाणित करके भुगतान हेतु पंचास्थानी चुनावालय को प्रेषित किये जायेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानिक)  
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय –जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक-416 / नामिनिर्वाचनारोपो / एवारोपो / नियुक्ति / 2024.

दिनांक- 12 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि-संबंधित समस्त निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधिकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
2. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम-रुद्रपुर, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अनुमोदनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानिक)  
श्री ऊधमसिंहनगर